अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, बोकारो।

विविध 4 (h) वाद संख्या–116 / 2019–20
(अंचल अधिकारी चास बनाम् ओम प्रकाश शर्मा)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
7/7/20	अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास /अनुमंडल पदाधिकारी, चास के माध्यम से अंचल अधिकारी, चास का विविध 4(h) वाद संख्या संख्या 66 जमाबंदी रद्द करने से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा योगीडीह के खाता नं0–29, प्लॉट नं0 446, रकवा–62.46 ए0 की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट संख्या 05 / 274 में ओम प्रकाश शर्मा का नाम दर्ज है। पंजी II में चल रही जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, चास के द्वारा विधिवत जमाबंदी रैयत ओम प्रकाश शर्मा, पिता–जयराम शर्माको नोटिस निर्गत कर अभिलेख संधारित करते हुए सुनवाई की गयी है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपने अभिलेख में वर्णित किया गया है कि जमाबंदी रैयत द्वारा जमींदारी उन्मूलन के पूर्व का कागजात यथा–रिटर्न–1, भूमि बंदोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, एम फार्म, जमींदारी रसीद से संबंधित कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की सरकारी भूमि है। जमाबंदी पंजी II के पृष्ट संख्या –05 / 274 में ओम प्रकाश शर्मा के नाम से कायम है। भूमि का किस्म पुरातन पतित दर्ज है। भूमि की जमाबंदी पंजी II में बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश पर कायम किया गया है, जो संदेहात्मक है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा योगीडीह, थाना नं0–47 खाता नं0–29, प्लॉट नं0–446 रकवा–62.46 ए0 भूमि जिसका किस्म पुरातन पतित है, जिसका जमाबंदी जमाबंदीधारी ओम प्रकाश शर्मा के नाम से पंजी II के पृष्ट संख्या 05 / 274 की जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।	

Scanned by CamScanner

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	अंचल अधिकारी, चास /भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास /अनुमंडल पदाधिकारी, चास द्वारा किये गये अनुशंसा पर प्रतिपक्षी ओम प्रकाश शर्मा पिता–जयराम शर्मा को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसका तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में संधारित है। सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी (ओम प्रकाश शर्मा) लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके पास ऐसी कोई कागजात नहीं है, जिसे वे न्यायालय में दाखिल कर अपना पक्ष रख सकें। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है, जो पूर्ण रूप से सरकारी भूमि है। इस भूमि का किसी व्यक्ति विशेष का जमाबंदी कायम होना पूर्ण रूप से अवैध है। अनुमंडल पदाधिकारी, चास के द्वारा किये गये अनुशंसा एवं सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में मौजा–योगीडीह, थाना–47, खाता नं0–29, प्लॉट नं0–446 रकवा–62.46 ए0 भूमि की पंजी II के पृष्ट संख्या 05 / 274 में ओम प्रकाश शर्मा के नाम से चल रही जमाबंदी को अवैध/संदेहात्मक मानते हुए BLR Act 1950 की धारा 4(h) के तहत् रद्द की जाती है। रद्द की गई जमाबंदी की सम्पुष्टि सरकार से प्राप्त करने हेतु अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजें। अपर समाहर्त्ता, बोकारो। — उपायुक्त, बोकारो।	

Scanned by CamScanner